प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक -18.09.2022

01 कुन्तल 35 कि0ग्रा0 अवैध गांजा मय 01 चार पहिया डीसीएम (महिन्द्रा) वाहन के साथ 03 तस्कर गिरफ्तार (थाना देल्हूपुर)

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवैध ड्रग्स एवं अवैध शराब के विरुद्व चलाये गये अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), प्रतापगढ़ श्री विद्या सागर मिश्र के कुशल पर्यवेक्षण में कल दिनांक 17.09.2022 को थानाध्यक्ष देल्हूपुर श्री धीरेन्द्र ठाकुर, उ0नि0 रविशंकर तिवारी IC/OP शनिदेव धाम मय हमराह व स्वॅाट टीम, प्रतापगढ़ के द्वारा संयुक्त रुप से देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के ग्राम देल्हूपुर (प्रतापगढ़-प्रयागराज सीमा) **से 03 व्यक्तियों को 27 बण्डल में कुल 01 कुन्तल 35 कि0ग्रा0 अवैध गांजा(प्रत्येक बण्डल में 05 कि.ग्रा.) मय 01 चार पहिया डीसीएम वाहन (महिन्द्रा FURIO-17 नं- UP33BT/6554)** के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना देल्हूपुर में **मु0अ0सं0 34/2022 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट** का अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा बरामद वाहन को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

पूछताछ का विवरण – उक्त बरामदगी के संबंध में गिरफ्तार व्यक्तियों से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा बताया गया कि यह बरामद गांजा हम लोग उड़ीसा से 3500/- रू0 प्रति किलो के दर से खरीद कर लाते हैं तता 5500/- रु0 प्रति किलो के दर से बेंचते हैं, इसी से अपने परिवार का खर्च चलाते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- कपिल गिरी पुत्र राम नरायण निवासी सराय पान, थाना अमेठी, जनपद अमेठी।
2- मनीष सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी बेलदारन मोहल्ला प्रतापगढ़ सिटी, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
3- शिव कुमार पुत्र मनबोधन निवासी ग्राम सरैनी, थाना सरैनी, जनपद रायबरेली।

बरामदगी-

1- 27 बण्डल में कुल 01 कुन्तल 35 कि.ग्रा. अवैध गांजा,
2- डीसीएम कत्थई रंग की महिन्द्रा FURIO-17 गाड़ी नं0 **UP 33 BT 6554,**
3- विभिन्न कम्पनी के 02 मोबाइल स्मार्ट फोन, 03 मोबाइल फोन की-पैड (जामातलाशी से)।
4- 2500/- रुपये नकद(जामातलाशी से)।
5- 01 आधार कार्ड।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

मु0अ0सं0 34/2022 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट बनाम कपिल गिरी, मनीष सिंह व शिव कुमार उपरोक्त थाना देल्हूपुर।

आपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0सं0 117/22 धारा 8/20/23सी एनडीपीएस एक्ट बनाम कपिल गिरी, मनीष सिंह उपरोक्त थाना अमेठी, जनपद अमेठी।

2- मु0अ0सं0 425/12 धारा- 323/504/506 भादवि व 3(1)(X) SC/ST Act बनाम कपिल गिरी उपरोक्त थाना अमेठी जनपद अमेठी – आरोप पत्र A-13 दि0 17/07/2020।

<u>पुलिस टीम-</u>

1- थानाध्यक्ष देल्हूपुर श्री धीरेन्द्र ठाकुर, उ0नि0 रविशंकर तिवारी IC/OP शनिदेव धाम मय हमराह जनपद प्रतापगढ़।
2- स्वॉट प्रभारी उ0नि0 श्री सुनील यादव मय हमराह हे0का0 पंकज दूबे, का0 श्रीराम, का0 सत्यम यादव, का0 गजेन्द्र यादव, का0 जागीर सिंह, का0 अरविन्द दूबे, का0 सनोज कुमार तथा का0 अजय यादव स्वॉट टीम, जनपद प्रतापगढ़।

जल निगम के स्टोर में हुई चोरी के 260 लोहे का प्लास,192 इंचटेप व 50 बैग के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कोतवाली नगर)

आज दिनांक 18.09.2022 को थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 श्री घनश्याम सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 874/22 धारा 457,380 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्त **1- संजय हेला पुत्र विजय हेला निवासी भुवालपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़, 2- सुधीर पाल पुत्र रामलखन पाल निवासी ग्राम किनाक का पुरवा, जोगापुर थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतागपढ़** को 05 बोरी में चोरी को **260 लोहे का प्लास, 192 इंचटेप व 50 बैग** के साथ थाना क्षेत्र के काशीराम कालोनी जोगापुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ में बताये कि बरामद सामान चोरी के है जो हमलोग अपने साथी राजू मिश्र पुत्र सुभाष मिश्र निवासी सिनेमा रोड पानी के पास थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ के साथ मिलकर दिनांक 16/17.09.2022 की रात में जल निगम स्टोर की दीवार को काटकर चोरी किये थे, आज हमलोग चोरी के सामान कबाड़ी के यहां बेचने के लिए राजू मिश्र के इन्तजार में खड़े थे। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों के निशानदेही पर चोरी के अन्य सामानों को बरामद किया गया।

नोट – प्रकाश में आये अभियुक्त राजू मिश्र उपरोक्त की गिरफ्तार शीघ्र की जायेगी।

पुलिस टीम - उ0नि0 श्री घनश्याम सिंह मय हमराह थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

चोरी की बकरी मय मोटर साइकिल के साथ 02 व्यक्ति गिरफ्तार(थाना बाघराय)

कल दिनांक 17.09.2022 को जनपद के थाना बाघराय के उ0नि0 श्री प्रभात कुमार मय हमराह द्वारा आवेदक की सूचना पर थाना क्षेत्र के ग्राम मदनपुर रामपुर कोटवा से 02 व्यक्ति 1- धीरज सरोज पुत्र नन्हूलाल सरोज निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना होलागढ़, जनपद प्रयागराज, 2- तूफान सरोज पुत्र मंगल सरोज निवासी बहादुरपुर थाना होलागढ़, जनपद प्रयागराज को चोरी की 01 बकरी मय 01 मोटर साइकिल यूपी 70 जीई 0255 को साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बाघराय में **मु0अ0सं0 275/22 धारा 379,411 भादवि** बनाम धीरज, तूफान उपरोक्त के पंजीकृत किया गया।